छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी, 2014 (पौष 13, 1935)

अध्यक्ष का निर्वाचन

1. छत्तीसगढ़ विधान सभा की नियमावली के नियम 7 के उप नियम (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सोमवार, दिनांक 6 जनवरी, 2014 का दिन निश्चित किया गया है।

2. उक्त निर्वाचन के संबंध में सदस्यों का ध्यान छत्तीसगढ़ विधान सभा नियमावली के नियम 7 के उप नियम (2) से (4) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नानुसार है:-

"(2) इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन, के मध्यान्ह से पहले, कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव को, कि किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जावे सचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक अन्य सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का जिसका नाम सूचना में प्रस्थापित किया जाये यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है ;

परन्तु कोई सदस्य अपना स्वयं का नाम प्रस्थापित नहीं करेगा, न उसका अपना नाम प्रस्थापित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा और न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्थापित या अनुमोदन करेगा ।

(3) कार्यसूची में जिस सदस्य के नाम पर कोई प्रस्ताव हो, वह पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा, या प्रस्ताव वापस ले सकेगा और अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा ।

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत् अनुमोदित हो गये हों, वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे, जिस क्रम में कि वे प्रस्तुत किये गये हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों

को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है।"

3. अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव की सूचना रविवार, दिनांक 05 जनवरी, 2014 को प्रात: 11:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे के मध्य प्रमुख सचिव, विधान सभा को दी जानी चाहिए ।

4. सदस्यों की सुविधा के लिए अध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्ताव की सूचना देने के परिपत्र की प्रतियां विधान सभा सचिवालय से प्राप्त की जा सकती है ।

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव